जूट मिलों की उत्पादन क्षमता होगी तय

जूट बोरियों की उत्पादन क्षमता 25.9 लाख गांठ तय करने पर कपड़ा मंत्रालय कर रहा विचार

जयजित दास
भुवनेश्वर, 29 अगस्त

केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय जूट बोरियों की अधिकतम उत्पादन क्षमता वर्ष 2014-15 के लिए 25.9 लाख गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम) तय करने के बारे में विचार कर रहा है। मंत्रालय का यह प्रस्ताव जूट आयुक्त सुब्रत गुप्ता की सिफारिशों पर आधारित है। गुप्ता ने उत्पादन क्षमता में कमी की सिफारिश की थी, क्योंकि जूट बोरियों की घरेलू खपत वास्तविक उत्पादन क्षमता से कम है।

मंत्रालय ने कैबिनेट नोट के मसौदे में कहा है, 'जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम,1987 के तहत जूट बोरियों की आपूर्ति के लिए जूट मिलों (वर्तमान और आने स्थापित होने वालीं) की उत्पादन क्षमता 25.9 लाख गांठ तय की जा सकती है। यह पिछले तीन वर्षों 2011-2, 2012-13 और 2013-14 के दौरान उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई बोरियों का औसत है।'

जूट बोरियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये सरकारी आपूर्ति में खाद्यान्न और चीनी की भराई के लिए किया जाता है। योजना के अनुसार भविष्य में जूट मिलों की क्षमता का आकलन 1 जनवरी, 2014 की उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा। सरकार जूट मिलों द्वारा क्षमता में विस्तार को मंजूरी नहीं देगी।

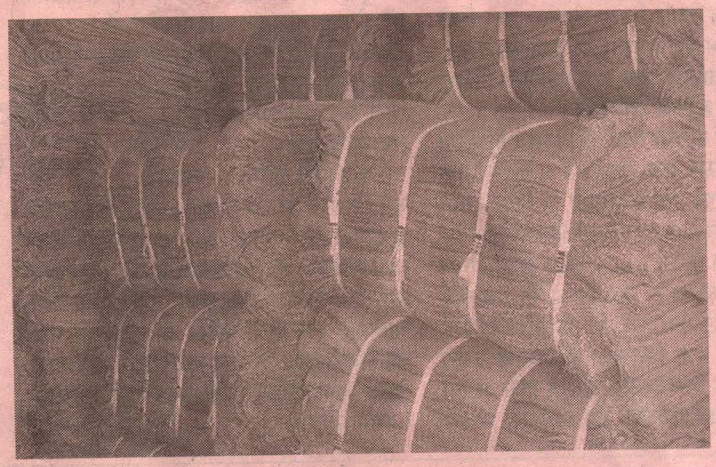

जूट बोरियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से पीडीएस के जरिये सरकारी आपूर्ति में खाद्यान्न और चीनी की भराई के लिए किया जाता है

वर्ष 202 से सरकार जूट उद्योग की प्रतिबद्धता के आधार पर जूट बोरियों का ऑर्डर दे रही है। सरकार ने जूट बोरियों की आपूर्ति न करने और इन्हें खुले बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचने के कारण उद्योग को आड़े हाथों लिया है। दो साल पहले सरकार ने 14 जूट मिलों को काली सूची में डाल दिया था।

जूट उद्योग बोरियों की उत्पादन सीमा तय करने के खिलाफ है। एक प्रमुख जूट मिल मालिक और भारतीय जूट मिल संघ (आईजेएमए) के पूर्व चेयरमैन संजय कजारिया ने कहा, 'वास्तविकता यह है कि उद्योग ने क्षमता में पर्याप्त बढ़ोतरी न केवल खाद्यान्न के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों की जूट बोरियों की 100 फीसदी मांग पूरी करने के लिए की है, बल्कि चीनी उद्योग की जूट बोरियों की 100 फीसदी मांग के लिए भी यह कदम उठाया है। उद्योग बोरियों के विनिर्माण और आपूर्ति को अपनी कुल क्षमता से कम रख रहा है, जो अपने आप में विरोधाभासी है। ऐसा लगता है कि जेपीएमए को कमजोर करने के संभावित असर की अनदेखी की गई है।'

खस्ताहाली से गुजर रहे जूट उद्योग के लिए एकमात्र सहारा जेपीएमए है। वर्ष 2012 और 2013 में सरकार ने अधिनियम में मामूली फेरबदल किया था और कुछ बदलाव 2014 में लागू करने की सिफारिश की थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के लिए सरकार द्वारा तैयार मसौदे के अनुसार पिछले 5 साल में यानी वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान जूट सामग्री का उत्पादन 13.2 लाख टन से 15.2 लाख टन के बीच रहा है। इन वर्षों का औसत उत्पादन स्तर 15.1 लाख टन रहा है, जबकि औसत घरेलू खपत 13.3 लाख टन रही है। जूट उद्योग ने सरकार को 50,000 से 55,000 रुपये प्रति टन की दर से करीब 500 करोड़ रुपये की 7-8 लाख टन जूट बोरियों की आपूर्ति की।

Business Standard
30/8/14